

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत... सहायक कलक्टर (SDO) मुकाम.....

बायत

..... बनाम श्री अहमदुल्ला

किस्म मुकदमा पत्रावली वास्ते 131, 132, 136 RCRAC नं. 269/20 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/09/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>तहसीलदार बायत</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>131, 132, 136 RCRAC</u> राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>29/09/2020</u> को पेश हो।	
29/09/2020	<u>पत्रावली वास्ते तहसीलदार बायत</u> <u>विप्रावली वास्ते के नोटिस नामिल प्राम</u> <u>नामिल प्राम। सम्पन पीठावली अधि</u> <u>कारी डिग्न कार्र में व्याप्त होने के</u> <u>मिसल इल्लवा डेडर प्रागामी दिनांक</u> <u>08/10/2020 को पेश हो।</u>	
08/10/2020	<u>पत्रावली अज पेश हुं। बकुत्सा</u> <u>वसकारान उपस्थित। पीठावली अधि</u> <u>कारी दिग्न कार्र में व्याप्त है। मिसल</u> <u>इल्लवा होकर दिनांक <u>14/10/2020</u></u> <u>पेश हो।</u>	



14/10/200

पैरोकार तहसीलदार बायदु उपस्थित।
विजागीरियों के नोटिस लामिल कुरुआ प्राप्त
जिसे शामिल पत्रावली विभा. गण्य। शामिल
पीठासीन अधिकारी डिग्न शर्मा में व्यक्त
होने के मिशाल इलतब डौडर कुरागी विनाड
08/02/21 से पैरा 4/1

पंचायत उपख
आवेदन पत्र

08/02/21

पत्रावली पैरा हुई वकूलाय परिकेन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है
अतः पत्रावली इलतब हाकर दिनांक 08/06/21
से पैरा 4/1

08/06/21

पत्रावली पैरा हुई वकूलाय परिकेन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है
अतः पत्रावली इलतब हाकर दिनांक 28/09/21
से पैरा 4/1

28/09/21

पैरोकार तहसीलदार बायदु उपस्थित।
पैरोकार तहसीलदार बायदु से प्राप्त कोवेन
का केवलौडन विभा गण्य। शर्मा व विजागीर-
गणों के दिखते जमावती में गलत दर्ज है
जो खुद विभा जाना उचित है अतः तहसी-
लदार बायदु से प्राप्त शर्मा-पत्र के स्वीडर
विभा जाडर कोवेन कलज से लिया जाडर
शामिल पत्रावली विभा गण्य। पत्रावली में
कुमार डौडर दर्ज नम्बर से 84 है, दाखिल
दखल है।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायदु

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बायतु

दिनांक:- 28/09/2021

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131,132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956.

आदेश

प्रार्थी हनीफ खां पुत्र गाजी खां जाति तेली निवासी बायतु भोपजी का जरीये तहसीलदार बायतु राजस्व अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पुराना गांव के जमाबंदी खाता सं. 57 खसरा संख्या 1046/995, 995, 997, 998 कुल रकबा 2.3380 हैक्टर में प्रार्थी के पिता विप्रार्थीस सं. 4 एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 व 5 से 25 का हिस्सा ऑनलाइन जमाबंदी में हुई त्रुटि को शुद्ध करवाने के लिए पेश किया गया। तहसीलदार बायतु द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132, 136 के तहत रिकॉर्ड दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम पुराना गांव पटवार मण्डल नगोणी धतरवालों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 1046/995, 995, 997, 998 कुल रकबा 2.3380 हैक्टर भूमि में प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के हिस्से वंशावली अनुसार दर्ज नहीं है तथा कुल 25 खातेदारों प्रत्येक का 1/25 -1/25 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के हिस्से तहसीलदार बायतु की रिपोर्ट अनुसार ऑनलाईन जमाबंदी में त्रुटिवश गलत दर्ज हुए हैं।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार बायतु द्वारा की गई जिसमें पाया गया कि ग्राम पुराना गांव के खेत खसरा संख्या क्रमशः 1046/995, 995, 997, 998 कुल रकबा 2.3380 हैक्टर भूमि में प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के हिस्से ऑनलाईन जमाबंदी में गलत दर्ज हुए हैं एवं उक्त राजस्व रिकॉर्ड को शुद्ध किया जाना उचित है।

पटवारी हल्का, भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार बायतु से प्राप्त प्रार्थना पत्र में जांच रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड को शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार बायतु निम्न खातेदारों की वर्तमान जमाबंदी में अशुद्धि को शुद्ध कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल - दरामद करें।

क्र. सं.	खातेदारों के अशुद्ध दर्ज हिस्से	खातेदारों के हिस्से में की जाने वाली शुद्धि
1.	अब्दुलखां पुत्र हुसैन हिस्सा - 1/25 जाति-तेली सा. देह खातेदार	अब्दुलखां पुत्र हुसैन हिस्सा - 1/21 जाति-तेली सा. देह खातेदार
2.	इशाक पुत्र इब्राहीम हिस्सा - 1/25 जाति-तेली सा. देह खातेदार	इशाक पुत्र इब्राहीम हिस्सा - 1/105 जाति-तेली सा. देह खातेदार
3.	गूफरखां पुत्र नूरखां हिस्सा - 1/25 जाति-तेली सा. देह खातेदार	गूफरखां पुत्र नूरखां हिस्सा - 1/21 जाति-तेली सा. देह खातेदार
4.	गाजी पुत्र लिछमणा हिस्सा -1/25	गाजी पुत्र लिछमणा हिस्सा -1/3 जाति-तेली



सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

अतः उपरोक्त वर्णित तालिका अनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्ती के आदेश तहसीलदार, बायतु को दिये जाते है। तहसीलदार, बायतु आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्धि की पालना सुनिश्चित करें।



(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, बायतु
दिनांक : 28/09/2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, बायतु ।
2. विप्रार्थीगण श्री अब्दुलखां पुत्र हुसैन वगैरा को सूचनार्थ।

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, बायतु